गतिविधि 4

सामूहिक परिचर्चा

गतिविधि – 4

सामूहिक परिचर्चा
(Group Discussion)

सामूहिक परिचर्चा सहभागिता के आधार पर ज्ञानार्जन की एक प्रभावी विधि है। यह गतिविधि 'किशोर शिक्षा' जैसे संवेदनशील क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस गतिविधि के द्वारा एक ओर विद्यार्थियों को प्रजनन स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय पर परस्पर विचार विमर्श से जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है, दूसरी ओर ऐसी भी अपेक्षा की जाती है कि इस गतिविधि के माध्यम से किशोरावस्था प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने के लिए विद्यार्थियों में वांछित कौशलों विशेषतया चिन्तन, संप्रेषण तथा विनिमय कौशलों का विकास भी हो सकेगा। यही नहीं इस गतिविधि से श्रोताओं अथवा दर्शकों के मध्य भी इन विषयों के संबंध में गंभीर विचार मंथन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

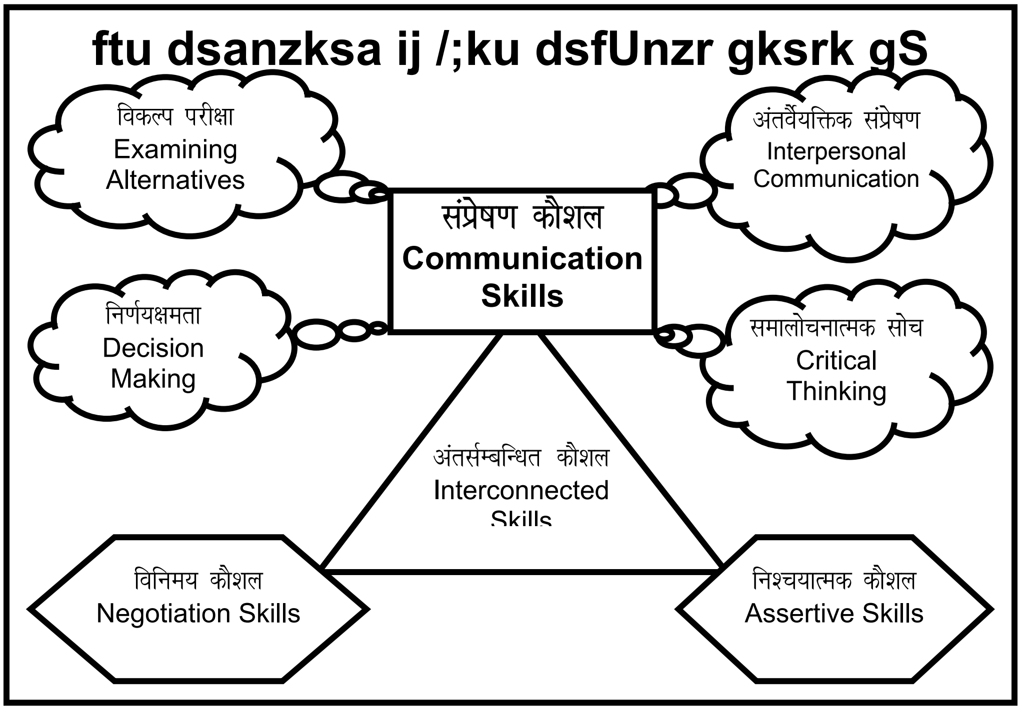

उद्देश्य

1. छात्रों में किशोरावस्था प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य **(ARSH)** से सम्बन्धित विषयों पर रचनात्मक और समालोचनात्मक सोच विकसित करना।

2. उनमें **ARSH** सम्बन्धी विषयों पर स्वस्थय दृष्टिकोण और उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार विकसित करना।

3. छात्रों में इन प्रकरणों से निपटने के लिए अन्तर्वैयक्तिक सम्प्रेषणीयता कौशल विशेषकर निश्चयात्मक कौशल और विनिमय कौशल को विकसित करना।

लक्ष्य समूह

सातवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ रहे किशोर छात्र।

वांछित सुविधाएं

1. समुचित स्थान - एक बड़ा कमरा या एक हॉल जिसमें समस्त छात्र बैठ सकें।

2. 4 से 5 छोटे समूहों और श्रोता/दर्शकों के बैठने योग्य उचित प्रबन्ध।

समय

एक पक्ष अथवा मास में एक बार एक घंटा।

प्रक्रिया

1. प्रशिक्षित अध्यापक इस गतिविधि को शुरू करने से पहले ही कितने समूह और कितने-कितने छात्र उन समूहों में सम्मिलित करने हैं, उसकी पहले ही योजना बना लेगा। परिचर्चा का विषय, समूहों का गठन, गतिविधि की तिथि और समय भी पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों का प्रबंध भी कर लेना चाहिए।

2. यह गतिविधि सातवीं से बारहवीं तक के सभी छात्रों कि लिए आयोजित की जा सकती है। फिर भी यदि यह उच्चतर माध्यमिक स्तर के ही विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाए तो यह अधिक प्रभावी सिद्ध होगी।

3. अभिभावकों, मत-संवाहकों तथा प्रचार-प्रसार से जुड़े लोगों को भी शामिल किया जा सकता है।

4. सामूहिक चर्चा का विषय किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, वृद्धि प्रक्रिया एच आई वी, एड्स और मादक व्यसनों पर केन्द्रित होना चाहिए। समूह चर्चा के लिए कुछ विषय इस भाग के अन्त में दिए गए हैं।

5. अध्यापक नियमानुसार 4-5 समूह बना सकते हैं।

   क). एक समूह में चार छात्र होंगे।
   ख). अगर यह गतिविधि सभी छात्रों के लिए आयोजित की जाए तो हर समूह में प्रत्येक स्तर अथवा कक्षा के छात्र हों।
   ग). अगर इसे स्तर वार आयोजित किया जाए तो प्रत्येक समूह में उस स्तर विशेष (अपर प्राइमरी, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक) की सभी कक्षाओं का प्रतिनिधित्व हो।
   घ). सह-शैक्षिक स्कूलों में लड़के और लड़कियों दोनो के समूह बनाने होंगे। प्रत्येक समूह में लड़के और लड़कियाँ हो सकते हैं या लड़कों और लड़कियों के अलग-अलग समूह भी हो सकते हैं।
   ङ) बाकि बचे छात्र जो समूह में नहीं हैं वे समूह परिचर्चा के श्रोता रहेंगे।

6. सामूहिक चर्चा की गतिविधि नीचे दी गई विधि के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए।
   क). सामूहिक चर्चा का विषय और उसे करने की विधि शिक्षकों द्वारा हर समूह के सदस्यों को संक्षेपतः स्पष्ट कर देनी चाहिए।

ख). शिक्षक प्रत्येक समूह के लिए विषय के अलग-अलग पहलू निर्धारित कर सकता है। सम्बन्धित समूह को दिए गए विषय के उस पहलू विशेष पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इस भाग के अन्त में विविध विषयों के विभिन्न पक्ष सुझाए गए हैं।

7. प्रत्येक समूह को यह स्पष्ट बता देना चाहिए कि एक समूह दिए गए विषय पर एक ही मत स्थापित करेगा। समूह का प्रत्येक सदस्य उस एक मत के एक ही प्रश्न पर प्रकाश डाले। समूह का कोई भी सदस्य दूसरे सदस्य द्वारा कही गई बात का खण्डन नहीं करेगा बल्कि वह उसके द्वारा कही गई बात को ही अपने तर्कों से पुष्ट करेगा।

8. प्रत्येक समूह को कम ही समय दिया जा सकता है। हो सकता है केवल दस मिनट। प्रदत्त समय के भीतर ही समूह के हर सदस्य को अपना मत प्रकट करना है। यह भी जरूरी है कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार प्रकट करे।

9. जब सभी समूह अपने विचार प्रकट कर लें तब श्रोताओं से अनुरोध किया जाए कि वे उनसे प्रश्न पूछें। सम्बन्धित समूह उनके प्रश्नों का उत्तर दें।

10. आंमत्रित विशेषज्ञ या सम्बन्धित शिक्षक इस गतिविधि का सारांश प्रस्तुत करे।

11. कुछ अवसरों पर शिक्षकों द्वारा एक या दो छात्रों को रेपोटियरस (**Rappoteurs**) के रूप में चुना जा सकता है और उनको सामूहिक चर्चा के अन्त में सार संक्षेप प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

सामूहिक चर्चा के लिए कुछ विषय

सामूहिक चर्चा के लिए कुछ विषय नीचे सुझाए गए हैं। दो विषयों के विविध आयाम/पक्ष विस्तृत रूप से दिए गए हैं। शिक्षक इसके अतिरिक्त कोई और विषय भी चुन सकते हैं और इसी आधार पर चयनित विषयों के अन्य आयामों को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

विषय	आयाम/पक्ष
1. स्कूलों में किशोर शिक्षा होनी चाहिए।	1. किशोरों के सम्मुख आने वाली समस्याओं के समाधान के निमित्त यह आवश्यक है। 2. इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि कोई ऐसा पक्का स्त्रोत नहीं है जो उन्हें सही ज्ञान दे सके। 3. यह आवश्यक नहीं है क्योंकि सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण पहले से ही इसका ध्यान रख रहा है। 4. प्रजनन और यौन स्वास्थ्य से सम्बन्धित ज्ञान उन्हें प्रयोगात्मकता की ओर ले जाएगा जिससे स्कूल तथा समाज का वातावरण दूषित होगा।
2. भारत में एड्स-प्रसार इतना जोखिम भरा नहीं है।	1. भारत में एड्स की स्थिति वर्तमान आंकड़ों के आधार पर ज्यादा खतरनाक है। 2. क्योंकि वर्तमान में एड्स की स्थिति जोखिम भरे व्यवहार के आंकड़ों पर परियोजित है। कई इससे अधिक खतरनाक बीमारियां हैं अतः एड्स के बारे में अत्यधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। 3. एड्स खतरनाक बीमारी है या नहीं इससे अधिक चिंता का विषय यह है कि इसके लिए कोई वैकसिन या दवाई उपलग्ध नहीं है। अतः प्रत्येक को एच आई वी संचरण की स्थितियों, इससे जुड़े भ्रमों और अंधविश्वासों की जानकारी होनी चाहिए। 4. एच आई वी संचरण की रोकथाम और नियंत्रण, एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल।

3. एच आई वी संचरण चिकित्सा से जुड़ी समस्या से ज्यादा एक सामाजिक समस्या है।
4. किशोर समाज के लिए समस्याएं हैं।
5. किशोरों के अपने अभिभावकों और विपरीत लिंगी के साथ बदलते सम्बन्ध।
6. किशोरों को कौशल-निर्माण की शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है।
7. समाज द्वारा पारंपरिक रूप से निर्धारित लौंगिक भूमिका में **(gender roles)** परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है।
8. समआयु समूह का दबाव किशोरों में मादक-व्यसन का मुख्य कारण है।

पुनर्निवेशन (Feedback)

हर बार गतिविधि के समापन पर पुनर्निवेशन के लिए कुछ विशेष पग उठाए जाने चाहिए। सम्बंधित शिक्षक निम्नानुसार विवरणिका तैयार कर सकते हैं-

1. कितने समूह बनाए गए और प्रत्येक समूह में कितने छात्र/छात्राएँ थी?

2. कितने छात्र (कक्षा-वार), अध्यापक और अन्य श्रोता उपस्थित थे?

3. समूह-परिचर्चा का विषय क्या था और इस विषय में किन-किन पहलुओं पर चर्चा हुई ?

4. क्या छात्रों ने परिचर्चा में सक्रियता से भाग लिया? क्या उन्होंने प्रश्न पूछे या टिप्पणियां कीं?

5. गतिविधि का अयोजन करते समय क्या ऊपर लिखी सभी बातों का ध्यान रखा गया?

6. परिचर्चा में भाग लेते हुए छात्र-छात्राओं द्वारा किन कौशलों का उपयोग किया गया?